बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– ग्रा0अ0–4 (ग्रा0)–3054–01–23/2023 – 1939 /पटना, दिनांक– 29.03.2023

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड–37–3054–04–105–0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड–37–3054–04–105–0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक अनुमोदन दी जाती है:–

SL No	Selection SL No (01.02.2023)	Name of Division	Block	Project Id	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	264	Chapra-1	Manjhi	31306301140	Chapra- Siwan Mukhya Path se Bramasthan hote hue Naivar Parsurampur PMGSY Path Tak	2.300	84.038	32.947	8.404	125.39
2	265	Chapra-1	Manjhi	31306202119	T09 To Mathi - jaitpur (VR 38)	4.000	118.241	55.914	11.824	185.98
3	266	Chapra-1	Manjhi	31306212030	Manjhi Ekma road se Narpaliya tak	0.950	39.791	11.789	3.979	55.559
4	267	Chapra-1	Manjhi	31306212002	Hardev Dewan NH-19 To Champur Tak	1.120	42.702	14.465	4.27	61.437
5	268	Chapra-1	Manjhi	31306212017	NH-19 se Durgapur Tak	0.500	23.461	5.485	2.346	31.292
6	269	Chapra-1	Manjhi	31306213018	NH-85 se Dumduma Harijan Tola Tak	0.650	24.807	8.083	2.481	35.37
7	585	Gopalganj-2	Baikunthpur	31407012011	PWD Road Saran Bandh To Fijahlpur	1.531	51.03	19.47	5.10	75.6
8	588	Gopalganj-2	Sidhwalia	314701033995	NH 28 To Mohammadpur Vaishay Tola	1.000	62.03	14.06	6.2	82.29
9	548	Gopalganj-1	Katiya	31406912011	Bellan Diha to Pakdiu Dih	2.150	100.49	23.36	10.05	133.9
10	908	Motihari	Sugauli	31708202275	NH-28 To Sapaha Harijan Tola	1.450	37.66	13.84	3.766	55.266
	TOTAL					15.651	584.250	199.413	58.420	842.084

29/3/2023

2 कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल के अधीन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

3 "बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018" के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

4. इस योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–13/2023 में दिनांक 01.02.2023 को प्राप्त है।

5 सारणी मे अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 27.3.2023 को संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–23/2023 में अनुमोदन प्राप्त है।

6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।

9. संबंधित योजनाओं Unsatisfactory / Satisfactory but Requires Improvement कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।

10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

29/3/2023

6

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑनलाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यों को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मु0अ0 – 4 (मु0) – 3054 – 01 – 23/2023 के पृ0–27/टि0 पर दिनांक–24.3.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

29/3/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–23/2023-1939 /पटना, दिनांक– 29.03.2023

प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–23/2023-1939 /पटना, दिनांक– 29.03.2023

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3 एवं 4,पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, संबंधित कार्य अंचल /संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/3/2023

विशेष सचिव

6